PLUTUS IAS

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

02/12/2024 से 08/12/2024 तक

THE HINDU

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. उपासना स्थल अधिनियम, 1991 और संभल में स्थित जामा मस्जिद विवाद.....1
2. मनरेगा कार्ड निरस्तीकरण : रोजगार के कानूनी अधिकारों का संघर्ष या सुधार?.....3
3. भारत में गिग अर्थव्यवस्था : अवसरों और चुनौतियों की नई राह.....5
4. भारत में वन रैंक वन पेंशन योजना.....8
5. प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 : सामाजिक समावेशन और आर्थिक बदलाव.....11
6. राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन : पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59 वां अखिल भारतीय सम्मेलन.....13

PLUTUS IAS

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 और संभल में स्थित जामा मस्जिद विवाद

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में संभल की जिला न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि संभल में स्थित जामा मस्जिद एक प्राचीन हरि हर मंदिर की भूमि पर बनाई गई थी।
- इस याचिका के बाद, संभल की जिला न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसमें यह दावा किया गया कि सन 1526 में मुग़ल सम्राट बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की जगह पर किया था।
- याचिकाकर्ताओं, जिनमें एक स्थानीय महंत और वकील हरि शंकर जैन भी शामिल हैं, ने इस स्थान के धार्मिक पहचान को बदलने की मांग की थी।
- सर्वेक्षण के दूसरे चरण के बाद, 24 नवंबर को संभल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर हिंसा और पुलिस गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 से संबंधित विधिक सन्दर्भ क्या है ?

- इस विवाद के संदर्भ में उपासना स्थल अधिनियम, 1991 चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि इस मस्जिद को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत संरक्षित स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है।
- संभल की जिला न्यायालय का यह आदेश एकपक्षीय आधार पर पारित किया गया था, जिसका अर्थ है कि इस विवाद के मामले में दायर याचिका को दोनों पक्षों को सुने बिना जिला न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गईथी , जिससे इस मामले के संबंध में निष्पक्षता से जाँच होने की चिंता बढ़ गई है।

मस्जिद का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

- इस मस्जिद का निर्माण मुग़ल सम्राट बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा सन 1528 के आसपास किया गया था।
- इसकी वास्तुकला में प्लास्टर के साथ पत्थर की चिनाई का उपयोग किया गया है, जो बदायूँ की मस्जिद से मेल खाती है।
- ऐतिहासिक दृष्टि से, हिंदू परंपरा का मानना है कि इस मस्जिद में एक प्राचीन विष्णु मंदिर के कुछ हिस्से शामिल हैं।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के मुख्य बिंदु :

1. **प्रारंभिक संदर्भ :** भारत में इस अधिनियम को बाबरी मस्जिद विवाद, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समूहों के दावों के बाद लागू किया गया था।
2. **मुख्य उद्देश्य :** इस अधिनियम का उद्देश्य 15 अगस्त, 1947 तक उपासना स्थलों की जो स्थिति थी को उसी स्थिति में यथावत स्थिर बनाए रखना है और भविष्य में इन स्थलों पर दावों से संबंधित विवादों को रोकना है।
3. **धार्मिक चरित्र :** यह अधिनियम किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को स्थिर करने की कोशिश करता है, जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को था।
4. **नए दावों पर रोक :** इसने पूजा स्थलों की ऐतिहासिक स्थिति को लेकर किसी भी समूह द्वारा नए दावों को रोकने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की कोशिश की है।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की मुख्य विशेषताएँ :

- पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप वही रहना चाहिए जो 15 अगस्त, 1947 को था।
- यह किसी पूजा स्थल को अन्य धर्म या संप्रदाय में बदलने पर रोक लगाता है।
- 15 अगस्त, 1947 तक उपासना स्थलों की स्थिति में बदलाव से संबंधित सभी लंबित कानूनी कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिए।
- विधिक कार्यवाही केवल तभी जारी रह सकती है, यदि यह 15 अगस्त, 1947 के बाद के बदलाव से संबंधित हो।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 से संबंधित प्रमुख अपवाद :

1. भारत में यह अधिनियम प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अधिनियम, 1958 के तहत आने वाले प्राचीन स्मारकों पर लागू नहीं होता।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

2. इस अधिनियम के तहत अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद इस अधिनियम से बाहर है।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 से संबंधित प्रमुख दंडात्मक प्रावधान :

1. किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने की कोशिश करने पर व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

2. जो लोग ऐसे कार्यों को बढ़ावा देते हैं या उसमें भाग लेते हैं, उन्हें भी दंडित किया जाएगा।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 से संबंधित प्रमुख कानूनी चुनौतियाँ :

1. **न्यायिक समीक्षा से रोकना :** अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह न्यायिक समीक्षा को रोकता है, जो संवैधानिक सिद्धांत है।

2. **पूर्वव्यापी कट-ऑफ तिथि का अतार्किक और मनमाना पूर्ण होना :** भारतीय संविधान के जानकर आलोचको का एक वर्ग इसे एक मनमानी, अतार्किक और पूर्वव्यापी कट-ऑफ तिथि (15 अगस्त, 1947) लागू करने के रूप में देखते हैं, जिसे अन्यायपूर्ण माना जाता है।

3. **हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदायों को विवादित धार्मिक स्थलों पर दावे करने से रोकना :** यह कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदायों को विवादित धार्मिक स्थलों पर दावे करने से रोककर उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह भी दावा किया जा रहा है।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण :

1. **उच्चतम न्यायालय का वर्ष 2022 का निर्णय :** भारत में उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2022 में यह स्पष्ट किया कि 15 अगस्त, 1947 को किसी स्थल के धार्मिक चरित्र की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन इस संबंध में इसके धार्मिक चरित्र को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

2. **धार्मिक चरित्र में बदलाव पर निषेध :** न्यायालय ने यह भी माना कि उपासना या पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप को बदलना उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के तहत निषिद्ध है।

3. **न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव :** संभल की जिला न्यायालय द्वारा शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिए जाने का निर्णय संबंधी व्याख्या ने जिला न्यायालयों के लिए पूजा स्थलों से संबंधित विवादों पर सुनवाई के अवसर खोल दिए हैं, हालांकि धार्मिक प्रकृति में परिवर्तन पर रोक बनी रहती है।

निष्कर्ष और आगे की राह :

1. **संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता :** हाल के मामलों ने भारत में धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा और धार्मिक अधिकारों जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिलताओं को उजागर किया है, जो ऐतिहासिक स्मारकों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं।

2. **कानूनी प्रणाली की भूमिका :** यह देखना अभी बाकी है कि क्या कानूनी प्रणाली पूजा स्थल अधिनियम के उद्देश्यों को बनाए रखने में सक्षम होगी या अदालतें कुछ अपवादों के लिए रास्ता ढूंढेंगी, जैसा कि कुछ याचिकाकर्ता विवादित धार्मिक स्थलों पर दावे करने का सुझाव दे रहे हैं।

3. **भविष्य की दिशा को आकार देने में न्यायालय का हस्तक्षेप होना :** भारत में उपासना स्थलों से संबंधित विवादों के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है , जिससे आगामी सुनवाई में न्यायालय का हस्तक्षेप इन विवादों के भविष्य की दिशा को आकार दे सकता है।

4. **उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की समीक्षा की आवश्यकता :** उपासना स्थल अधिनियम की आलोचनाओं और कमियों को दूर करने के लिए इसकी गहन समीक्षा की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता है।

5. **धार्मिक विविधता और विभिन्न समुदायों के अधिकारों का सम्मान करते हुए एक संतुलन बनाना अत्यंत जरूरी :** भारत के विभिन्न नागरिकों के धार्मिक विशिष्टता के संरक्षण और विभिन्न समुदायों के अधिकारों का सम्मान करते हुए एक संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6. **निष्पक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श को शामिल करने की जरूरत :** निष्पक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परामर्श को शामिल कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, और विशिष्ट धार्मिक स्थलों के मामले को इस अधिनियम से अलग रखने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह अधिनियम पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को स्थिर रखने के लिए लागू होता है।
2. यह अधिनियम पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बदलने की अनुमति देता है।
3. यह अधिनियम सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन करने पर रोक लगाता है।
4. यह अधिनियम केवल 15 अगस्त, 1947 के बाद हुए बदलावों को मान्यता देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 4

D. केवल 2 और 3

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के प्रावधानों का जामा मस्जिद विवाद पर प्रभाव और इसके कानूनी, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं पर विस्तृत विचार करें। इस विवाद से जुड़े विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोण और इसका भारतीय न्यायपालिका पर पड़ने वाला प्रभाव भी विश्लेषित करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

मनरेगा कार्ड निरस्तीकरण : रोजगार के कानूनी अधिकारों का संघर्ष या सुधार ?

खबरों में क्यों?

- हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के तहत जॉब कार्डों से श्रमिकों के नाम हटाने में वृद्धि ने भारत में काम के अधिकार और उसके सही तरीके से लागू होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
- वर्ष 2022-23 में अकेले 5.53 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा के जॉब कार्ड की सूची से बाहर कर दिया गयाहै , जो 2021-22 के मुकाबले 247% की वृद्धि को दर्शाता है।

मनरेगा योजना क्या है?

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को सितंबर 2005 में पारित किया गया था, ताकि मनरेगा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कानूनी गारंटी सुनिश्चित किया जा सके।
- **लक्ष्य :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम में रुचि रखने वाले ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ सके।

पात्रता :

- **लक्षित समूह :** वह सभी ग्रामीण परिवार जो शारीरिक और अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों।
- **पंजीकरण :** इच्छुक व्यक्ति ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जो सत्यापन के बाद परिवारों को पंजीकृत कर जॉब कार्ड जारी करते हैं।
- **प्राथमिकता :** नौकरी पाने वालों में कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होनी चाहिए।

रोजगार की शर्तें :

- इस योजना के तहत कम से कम 14 दिनों तक लगातार रोजगार मिलना चाहिए, और प्रत्येक सप्ताह में अधिकतम छह कार्यदिवस होना चाहिए।
- **रोजगार सुनिश्चित करने के तहत समय – सीमा का प्रावधान :** इस योजना के तहत ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी को आवेदक के गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना होता है। 5 किलोमीटर से बाहर रोजगार प्रदान करने पर परिवहन और अन्य खर्चों के लिए 10% अतिरिक्त वेतन दिया जाता है।

- **बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान :** यदि मनरेगा के जॉब कार्ड धारक किसी श्रमिक को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलताहै , तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी का एक-चौथाई और उसके बाद कम से कम आधा होता है।

मनरेगा जॉब कार्ड हटाने के प्रमुख कारण क्या हैं ?

मनरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची II, पैराग्राफ 23 के अनुसार, जॉब कार्ड को केवल विशेष और स्पष्ट शर्तों के तहत ही हटाया जा सकता है:

- **स्थायी प्रवास :** यदि कोई परिवार संबंधित ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाता है।
- **डुप्लीकेट जॉब कार्ड :** जब एक ही व्यक्ति के लिए एक से अधिक जॉब कार्ड पाये जाते हैं।
- **जाली दस्तावेज :** यदि जॉब कार्ड किसी नकली दस्तावेज़ के आधार पर जारी किया गया हो।
- **क्षेत्र का पुनर्वर्गीकरण :** यदि ग्राम पंचायत को नगर निगम में बदल दिया जाता है, तो उस क्षेत्र के सभी जॉब कार्ड हटा दिये जाते हैं।
- **अन्य वैध कारण :** जैसे "डुप्लीकेट आवेदक", "फेक आवेदक" और "काम के लिए इच्छुक नहीं" जैसे कारण मनरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में सूचीबद्ध हैं।
- **आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) का प्रभाव :** वर्ष 2022-23 में मनरेगा जॉब कार्ड विलोपन में वृद्धि आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) के लागू होने के बाद हुई, जिसमें श्रमिकों को अपने आधार कार्ड को जॉब कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो गया। जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं थे या गलत तरीके से लिंक थे, उनके जॉब कार्ड हटा दिए गए।
- **विलोपन की प्रक्रिया :** विलोपन के लिए प्रस्तावित श्रमिकों की सुनवाई दो स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में होनी चाहिए, और कारणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जानी चाहिए। इसके बाद, कार्यवाही का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और रिपोर्ट को ग्राम या वार्ड सभा के साथ साझा किया जाना चाहिए।

मनरेगा जॉब कार्ड हटाने के परिणाम :

1. **कार्य करने के अधिकार का उल्लंघन :** "कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं" के आधार पर श्रमिकों के नाम हटाना उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन है।
2. **असंगत प्रक्रिया :** जॉब कार्ड हटाने के कारणों में कई बार ग्राम सभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, जो कि इस अधिनियम का उल्लंघन है।
3. **सत्यापन की कमी :** कई श्रमिक बिना उचित सत्यापन के हटाए गए, जिससे कई बार गलत तरीके से नाम हटाए जाते हैं।
4. **वंचित समुदाय पर प्रभाव :** विशेष रूप से उच्च ग्रामीण बेरोजगारी दर के कारण "कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं" जैसे कारणों से श्रमिकों का नाम हटाना उनकी आजीविका के अवसरों को प्रत्यक्ष रूप से कम करता है।
5. **डेटा-संचालित चिंताएँ :** विलोपन की बढ़ोतरी एबीपीएस के बढ़ते प्रभाव के साथ मेल खाती है, जो यह संकेत करता है कि विलोपन अनुपालन उद्देश्यों से प्रेरित हो सकता है, न कि वास्तविक कारणों से। अतः इस योजना के तहत विलोपन के पीछे असली कारणों की बजाय अनुपालन और सिस्टम के प्रोत्साहन हो सकते हैं।

मनरेगा से संबंधित परियोजनाएँ :

1. **जल एवं भूमि विकास :** संरक्षण और संचयन।
2. **वनरोपण और सूखा निवारण :** वृक्षारोपण।
3. **सिंचाई और कृषि अवसंरचना :** नहरें, तालाब, और सिंचाई।
4. **ग्रामीण संपर्कता :** सड़कें और पुलिया।
5. **स्वच्छता और स्वास्थ्य :** शौचालय और अपशिष्ट प्रबंधन।
6. **ग्रामीण बुनियादी ढाँचा :** सामुदायिक केंद्र और भंडारण केंद्र।
7. **रोजगार से संबंधित परियोजनाएँ :** खाद बनाना, पशुधन आश्रय, मत्स्य पालन।
8. **प्रतिबंध :** भारत में मनरेगा ठेकेदारों और श्रमिक-विस्थापन मशीनों का उपयोग निषिद्ध है।

समाधान / आगे की राह :

1. **सत्यापन प्रक्रिया में मनरेगा अधिनियम और मास्टर सर्कुलर प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाना :** मनमाने या अनुचित तरीके से नाम हटाने की घटनाओं को कम करने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि चयन प्रक्रिया में मनरेगा अधिनियम, 2005 और मास्टर सर्कुलर प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।
2. **पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा लेखापरीक्षा सुनिश्चित किया जाना :** इस योजना

में पारदर्शिता और निरंतरता बनाए रखने के लिए, जॉब कार्ड हटाने के कारणों और रिकॉर्ड में किसी भी हेरफेर की समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसियों या तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।

3. **एक स्पष्ट, प्रभावी और सुलभ शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना आवश्यक :** श्रमिकों को नाम हटाए जाने के मामलों में सही निवारण प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट, प्रभावी और सुलभ शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना आवश्यक है, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

4. **ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण :** यह सुनिश्चित किया जाए कि नाम हटाने की सभी प्रक्रिया की समीक्षा ग्राम सभा द्वारा की जाए और उसकी मंजूरी ली जाए, जैसा कि मनरेगा अधिनियम, 2005 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

5. **MIS प्रणाली में सुधार और उसको उन्नत किया जाना अत्यंत जरूरी :** मनरेगा जॉब कार्ड की सही ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग को सुनिश्चित करने के लिए MIS प्रणाली को उन्नत किया जाए, जिसमें वास्तविक समय की अधिसूचना और सख्त रिपोर्टिंग सुविधाएं शामिल हों।

6. **डेटा विश्लेषण और समय पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना :** मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड के विलोपन की प्रवृत्तियों और अनियमितताओं का समय पर पता लगाने के लिए डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाए, ताकि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

स्रोत- द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मनरेगा जॉब कार्ड निरस्तीकरण का क्या असर हो सकता है?

1. इससे बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।
2. इससे शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सकता है।
3. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
4. इससे सामाजिक असमानताएँ बढ़ सकती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " मनरेगा जॉब कार्ड निरस्तीकरण भारत में रोजगार के कानूनी अधिकारों के संघर्ष का परिणाम है या इसे एक सुधार के रूप में देखा जा सकता है?" इस कथन के संबंध में भारत सरकार की मनरेगा से संबंधित नीतियों और उसके प्रभावों की चर्चा करें।
(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में गिग अर्थव्यवस्था : अवसरों और चुनौतियों की नई राह

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में फोरम फॉर प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्स द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र के मुताबिक, भारत की अर्थव्यवस्था के तहत आने वाली गिग अर्थव्यवस्था क्षेत्र में 17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) देखने को मिल सकती है।

- इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2024 के आखिरी तक इसका आकार 455 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो भारत में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करेगा।

गिग अर्थव्यवस्था क्या होता है ?

- गिग अर्थव्यवस्था वह श्रम बाजार है जिसमें अस्थायी, लचीले और अल्पकालिक रोजगार अवसर उपलब्ध होते हैं, जो मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालित होते हैं।

- इस व्यवस्था में पारंपरिक स्थिर और पूर्णकालिक नौकरियों के बजाय कार्य-आधारित अनुबंधों पर काम करने वाले व्यक्ति या कंपनियाँ शामिल होती हैं।

- अर्थव्यवस्था के इस मॉडल/ प्रणाली में गिग श्रमिकों (या फ्रीलांसरों) को उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान किया जाता है।

- इसके प्रमुख कार्यक्षेत्रों में फ्रीलांसिंग, खाद्य वितरण सेवाएँ और डिजिटल कार्य शामिल होते हैं।
- गिग अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रमिकों को अपनी कार्य-स्थल और समय का चयन करने की स्वतंत्रता मिलती है।
- गिग अर्थव्यवस्था का प्रभाव श्रम बाजार में महिलाओं को विशेष रूप से लाभ पहुंचाता है, क्योंकि यह उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का संतुलन बनाने का अवसर देता है।
- श्रम बाजार में गिग अर्थव्यवस्था के तहत यह महिलाओं को उनके कौशल विकास के लिए भी अनुकूल है, जिससे वे विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकती हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं।
- भारत के अर्थव्यवस्था के तहत आनेवाली व्यवसायों के लिए, गिग अर्थव्यवस्था लागत प्रभावी श्रम और विशिष्ट कौशल वाले श्रमिकों तक पहुँच प्रदान करती है, जिससे कंपनियाँ बिना दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के, परियोजनाओं की जरूरत के हिसाब से अपने कार्यबल का विस्तार कर सकती हैं।

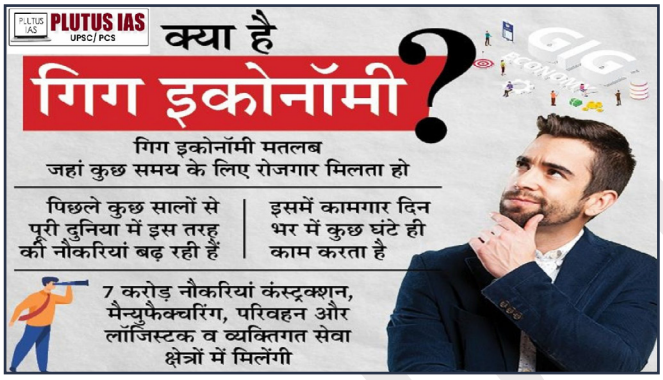

भारत में गिग अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति :

- भारत में गिग अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 7.7 मिलियन गिग श्रमिक थे, और वित्तीय – वर्ष 2029-30 तक यह संख्या बढ़कर 23.5 मिलियन तक पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। इस क्षेत्र में विभिन्न कौशल स्तरों के श्रमिक और रोजगार शामिल हैं, जिनमें विशेष रूप से मध्यम-कुशल श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गिग अर्थव्यवस्था के विस्तार में ई-कॉमर्स, परिवहन और वितरण जैसे प्रमुख क्षेत्र अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो लचीले कार्य ढांचे की बढ़ती मांग से लाभान्वित हो रहे हैं।

भारत में गिग अर्थव्यवस्था के तेजी से वृद्धि के प्रमुख कारण :

1. **डिजिटल विस्तार का होना :** भारत में 936 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से ग्रामीण इलाकों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इस डिजिटल विस्तार ने गिग अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार तैयार किया है।
2. **स्मार्टफोन की उपलब्धता और उसका बढ़ता उपयोग :** भारत में वर्तमान समय में लगभग 650 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं, और स्मार्टफोन की घटती कीमतों के कारण स्मार्टफोन अब निम्न आय वर्ग के लिए भी सुलभ हो गए हैं, जिससे इंटरनेट का उपयोग और गिग कार्य में तेजी से वृद्धि हो रही है।
3. **स्टार्टअप और ई-कॉमर्स का विकास और प्रसार :** स्टार्टअप और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में विकास के लिए लचीले श्रमिकों की आवश्यकता बढ़ी है, जो गिग अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे हैं। सामग्री निर्माण, विपणन, और लॉजिस्टिक्स जैसे कार्यों में गिग श्रमिकों की मांग बढ़ रही है।
4. **उपभोक्ता सुविधा की बढ़ती मांग :** शहरी क्षेत्रों में खासकर वितरण और ग्राहक सेवा क्षेत्रों में खाद्य वितरण और त्वरित सेवाओं की बढ़ती मांग ने गिग श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं।
5. **कम लागत पर श्रम उपलब्धता का होना :** औपचारिक रोजगार के अवसरों की कमी के कारण, गिग श्रमिकों के लिए तैयार अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों का एक बड़ा समूह उत्पन्न हुआ है, जिससे इन प्लेटफार्मों को कम मजदूरी पर और खराब कार्य परिस्थितियों के बावजूद भी कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो रहे हैं।
6. **उच्च बेरोजगारी और आर्थिक दबाव का होना :** बढ़ती बेरोज़गारी, अल्पकालिक रोजगार, आय असमानताएँ और बढ़ती जीवन लागत के कारण लोग गिग कार्य को जीविका और विकास का एक प्रमुख साधन मानने लगे हैं।
7. **बदलती कार्य प्राथमिकताएँ :** युवा पीढ़ी कार्य-जीवन संतुलन और लचीलापन को ज्यादा महत्व देती है, और वे ऐसे गिग कार्य को चुनते हैं जिसमें परियोजना चयन, कम घंटों में कार्य करने का लचीलापन होने से और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने की सुविधा होती है। इससे लोग गिग अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्यों को चुनते हैं।

भारत में गिग अर्थव्यवस्था का रोजगार सृजन में योगदान :

- वर्ष 2030 तक, गिग अर्थव्यवस्था द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 1.25% का योगदान होने और लगभग 90 मिलियन नए रोजगार अवसरों का सृजन होने की संभावना है।
- इस अवधि तक, गिग श्रमिकों की संख्या भारत के कुल कार्यबल का 4.1% तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे यह भारतीय श्रम बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा।
- गिग अर्थव्यवस्था विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में श्रमिकों के लिए वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करती है, जहाँ विकास तेज़ी से हो रहा है।
- महिलाओं को आय के नए अवसर मिलते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और कार्यबल में समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मिलता है।

- भारत में गिग अर्थव्यवस्था में पहले उच्च आय वाले पेशेवरों और सलाहकारों का प्रभुत्व था, लेकिन अब यह क्षेत्र प्रवेश स्तर के श्रमिकों और लचीले कार्य विकल्पों के इच्छुक युवाओं के बीच भी लोकप्रिय हो गया है।
- आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), पूर्वानुमान विश्लेषण और डिजिटल नवाचार के माध्यम से, गिग अर्थव्यवस्था रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बनने के लिए तैयार है।

भारत में गिग श्रमिकों को समक्ष मुख्य चुनौतियाँ :

1. **नौकरी की असुरक्षा :** गिग श्रमिकों में स्थिरता की कमी एक प्रमुख चिंता का विषय है, विशेष रूप से अकुशल श्रमिकों के बीच। लगभग 20% गिग श्रमिक इसे सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, और सुरक्षा गार्ड जैसे श्रमिकों को अनियमित आय के कारण वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।

2. **गिग श्रमिकों को विलंबित भुगतान के कारण होने वाले असंतोष का सामना करना :** भारत में करीब 25% से अधिक गिग श्रमिक विलंबित भुगतान की समस्या का सामना करते हैं, जिससे उन्हें वित्तीय तनाव से बचने के लिए समय पर और पारदर्शी भुगतान चक्र की आवश्यकता महसूस होती है।

3. **आय में अस्थिरता :** गिग कार्य में आय अप्रत्याशित होती है, जो मांग, प्रतिस्पर्धा और मौसमी प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। इससे वित्तीय योजना बनाना कठिन हो जाता है, और श्रमिकों को ऋण या क्रेडिट की सुविधा सीमित मिलती है।

4. **गिग श्रमिकों के लिए एक ठोस कानूनी और विनियामक ढाँचे का अभाव :** भारत में गिग श्रमिकों के लिए एक ठोस कानूनी और विनियामक ढाँचे का अभाव है, जिसके कारण उन्हें उचित वेतन, कार्य परिस्थितियाँ और अधिकारों की सुरक्षा के बिना शोषण का सामना करना पड़ता है। गिग श्रमिक अक्सर असंगठित श्रमिकों के बीच आते हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और बीमा जैसे लाभों तक पहुँचने में कठिनाई होती है।

5. **कौशल और व्यक्तित्व विकास में सहायक होना :** गिग श्रमिक, खासकर युवा और महत्वाकांक्षी लोग, कौशल विकास के अवसरों की कमी की शिकायत करते हैं। वे ऐसी नौकरियों की तलाश में हैं, जो उनके कॅरियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें।

भारत में गिग वर्कर्स के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें :

1. **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 :** इस अधिनियम के तहत गिग वर्कर्स को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है, और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुविधा देने की योजना बनाई गई है। हालांकि, इसके विशेष नियम और कार्यान्वयन के लिए अभी भी राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

2. **ई-श्रम पोर्टल :** यह पोर्टल श्रमिकों की जानकारी एकत्र करने और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

3. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना :** इस योजना के तहत गिग श्रमिकों और अन्य असंगठित श्रमिकों को पेंशन की सुरक्षा प्रदान की जाती है।

4. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMSBY) :** यह योजना गिग श्रमिकों के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें :

1. **राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण एवं कल्याण) अधिनियम, 2023 :** यह कानून राज्य में गिग श्रमिकों के पंजीकरण और उनके कल्याण के लिए जरूरी प्रावधान करता है।

2. **कर्नाटक में गिग वर्कर्स पर विधेयक :** कर्नाटक राज्य में गिग श्रमिकों से संबंधित विधेयक कर्नाटक में गिग श्रमिकों के लिए औपचारिक पंजीकरण, शिकायत निवारण तंत्र और पारदर्शी अनुबंधों को अनिवार्य करता है, हालांकि इसमें गिग श्रमिकों को स्वतंत्र ठेकेदार के रूप में वर्गीकृत करने की दिशा में कुछ विवाद भी हैं, जो उन्हें प्रमुख श्रम सुरक्षा से बाहर रखता है।

समाधान / आगे की राह :

1. **कौशल विकास का उन्नयन और कौशल निर्माण पहलों को बढ़ावा देना :** कौशल निर्माण पहलों को बढ़ावा देना तथा व्यावसायिक संस्थानों के साथ सहयोग करना, ताकि गिग श्रमिकों को उच्च वेतन वाली नौकरियों एवं उद्यमशील उपक्रमों में जाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके।

2. **कानूनी रूप से सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता :** भारत को कैलिफोर्निया और नीदरलैंड जैसे देशों से प्रेरणा लेते हुए गिग श्रमिकों को कर्मचारियों के रूप में पुनः वर्गीकृत करने पर विचार करना चाहिए, ताकि उन्हें न्यूनतम वेतन, विनियमित कार्य घंटे और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुरक्षा मिल सके।

3. **प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान और एक प्रभावी फीडबैक तंत्र स्थापित किया जाना जरूरी :** भारत में एक प्रभावी फीडबैक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, जो गिग श्रमिकों को प्लेटफार्मों द्वारा शोषण या भेदभाव जैसी समस्याओं की रिपोर्ट करने का अवसर दे, जिससे एक न्यायपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

4. **एक पोर्टेबल लाभ प्रणाली को लागू करना :** भारत में गिग श्रमिकों के लिए एक पोर्टेबल लाभ प्रणाली लागू करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके तहत श्रमिक बिना किसी नियोक्ता के बंधन के स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाओं और बेरोज़गारी लाभ जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें, जो गिग श्रमिकों के कल्याण में एक महत्वपूर्ण सुधार कर सकता है।

5. **गिग अर्थव्यवस्था में कल्याण को प्राथमिकता देने संबंधी कंपनियों की पहल :** अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियाँ गिग श्रमिकों के कार्य अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा गियर, विश्राम क्षेत्र और पानी की सुविधा जैसी सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं। गिग अर्थव्यवस्था में कल्याण को प्राथमिकता देने से इस क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है।

स्रोत- पीआईबी एवं बिजनेस स्टैण्डर्ड।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. गिग अर्थव्यवस्था में महिलाओं को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है?

1. इससे उनके आय में वृद्धि का मौका मिलता है।
2. इसके तहत महिलाएं बिना किसी शैक्षिक योग्यता के कार्य कर सकती हैं।
3. यह उन्हें व्यक्तिगत और उनके पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने का अवसर प्रदान करता है।
4. महिलाओं को गिग कार्य में पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में काम करने की गारंटी मिलती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में गिग अर्थव्यवस्था के विस्तार से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में किस प्रकार का योगदान हो सकता है? इस संदर्भ में गिग श्रमिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इससे संबंधित नीतिगत सुधारों पर चर्चा करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में वन रैंक वन पेंशन योजना

खबरों में क्यों ?

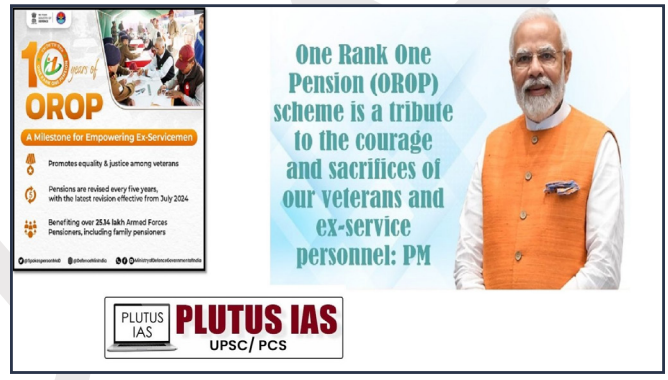

- भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के सफल क्रियान्वयन की सराहना की है।
- भारत में केन्द्र प्रायोजित इस योजना को 7 नवंबर 2015 को आधिकारिक रूप से लागू की गई थी, लेकिन इसके लाभ को प्राप्ति के लिए 1 जुलाई 2014 से प्रभावी किए गए थे।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनके पद और सेवा अवधि के आधार पर समान पेंशन लाभ प्रदान करना है, जो सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

वन रैंक वन पेंशन योजना क्या है और यह किस पेंशन सिद्धांत पर आधारित है ?

- " वन रैंक वन पेंशन " वह व्यवस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त सभी सशस्त्र बलों के कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि की परवाह किए बिना समान पेंशन मिले। उदाहरण के तौर पर, इस योजना के तहत 1980 में सेवानिवृत्त जनरल को 2015 में सेवानिवृत्त जनरल के बराबर ही पेंशन मिलेगा।
- इसकी सिफारिश पहले केपी सिंह देव समिति (1984) ने की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए स्थापित पेंशन सिद्धांतों पर आधारित थी।

- भारत में इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए चौथे केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन को समान बनाने के लिए प्रशासनिक प्रयासों की आवश्यकता जताई, जबकि पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने इस योजना से संबंधित प्रावधानों का विरोध करते हुए कहा कि पद और योग्यता में भिन्नता के कारण पेंशनभोगियों को समान लाभ नहीं मिलना चाहिए।

- वर्ष 2009 में, कैबिनेट सचिव समिति ने " वन रैंक वन पेंशन योजना " का विरोध किया था , लेकिन सेवानिवृत्त सैनिकों के बीच पेंशन असमानता को कम करने के उपायों का सुझाव भी दिया था।

- भारत में इस पेंशन सिद्धांतों में निहित प्रावधानों के संबंध में राज्यसभा याचिका समिति ने हालांकि, सभी सैन्य कर्मियों के लिए इसे लागू करने की सिफारिश की थी।

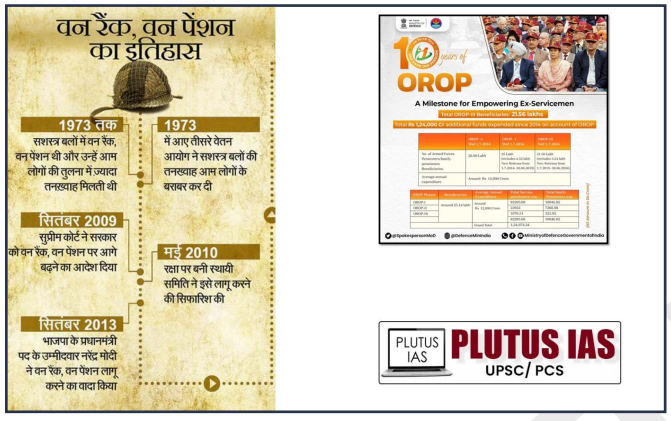

इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ :

- पेंशन का निर्धारण रैंक और सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है, जिससे पेंशन में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

- प्रत्येक पाँच वर्ष में पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जैसा कि 1 जुलाई 2019 को हुआ।

- इस योजना का अनुमानित वित्तीय बोझ लगभग 8,450 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है।

- इससे 25.13 लाख से अधिक सशस्त्र बल पेंशनभोगी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे, जिनमें पारिवारिक पेंशनभोगी, युद्ध विधवाएँ और विकलांग पेंशनभोगी शामिल हैं।

- भारत में, उत्तर प्रदेश और पंजाब में "वन रैंक वन पेंशन" योजना के लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है।

सर्वोच्च न्यायालय का वन रैंक वन पेंशन मामले में दिया गया निर्णय :

- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में "वन रैंक वन पेंशन" योजना की संवैधानिक वैधता को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि किया कि एक ही रैंक के सैनिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर भिन्न-भिन्न पेंशन देना मनमाना नहीं माना जाएगा।

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन में भिन्नता कुछ विशेष कारकों, जैसे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP) और आधार वेतन गणना के कारण उत्पन्न होती है।

वन रैंक वन पेंशन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव :

1. **समग्र कल्याण संवर्धन में वृद्धि में सहायक :** यह योजना पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करती है, जिससे उनके समग्र कल्याण में वृद्धि होती है।

2. **स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में सहायक :** इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी होने से पूर्व सैनिकों की प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में सहायक होती है।

3. **सशस्त्र बलों के कर्मियों के बलिदान की सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक :** यह योजना सशस्त्र बलों के कर्मियों के बलिदान की सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक बनती है और समाज में उन्हें सम्मान एवं गौरव प्रदान करती है।

4. **एक समान पेंशन व्यवस्था को सुनिश्चित करने में सहायक :** यह सुनिश्चित करती है कि समान सेवा अवधि के साथ एक ही रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों को समान पेंशन मिले, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कुछ भी हो।

5. **वर्तमान मानकों के अनुसार हर पाँच वर्ष में निरंतर संशोधन का प्रावधान :** पेंशन का निर्धारण हर पाँच वर्ष में वर्तमान मानकों के अनुसार किया जाता है, जिससे यह हमेशा प्रासंगिक और न्यायसंगत बनी रहती है।

वन रैंक वन पेंशन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुख्य समस्याएँ :

1. **योजना के क्रियान्वयन में उच्च लागत का होना :** भारत में इस योजना के क्रियान्वयन की लागत प्रारंभिक अनुमान से कहीं अधिक रही है, जिसके कारण सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उदाहरण के लिए – इस योजना के तहत जहां पहले लागत 500 करोड़ रुपये अनुमानित की गई थी, वहीं वास्तविक लागत 8000 से 10000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

2. **प्रशासनिक चुनौतियाँ :** पात्र कर्मचारियों के पुराने रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करना और उनकी सत्यता की पुष्टि करना एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। उदाहरण के लिए – सटीक लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक सेवा रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने में समस्याएँ आ रही हैं।

3. **वित्तीय और कानूनी जटिलताएँ उत्पन्न होना :** इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में कई प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

जटिलताएँ उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के लिए – सभी पात्र व्यक्तियों को बिना किसी रुकावट के पेंशन लाभ वितरण सुनिश्चित करने में कानूनी और तार्किक अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।

वन रैंक वन पेंशन योजना में आगे की राह :

1. **लागत प्रबंधन में समुचित मूल्यांकन जरूरी :** OROP की उच्च लागत को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय योजना और खर्चों का समुचित मूल्यांकन जरूरी है। इसके लिए प्रशासनिक खर्चों में कटौती और नई वित्तीय रणनीतियाँ अपनानी होंगी।

2. **प्रशासनिक दक्षता :** सैनिकों के पुराने सेवा रिकॉर्ड का सही सत्यापन करने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली विकसित करनी होगी, जिससे पूर्व सैनिकों के पेंशन की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जा सके।

3. **कानूनी और सामाजिक पहलू :** कानूनी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जा सकता है, साथ ही पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को योजनाओं का पूरा लाभ सुनिश्चित करना आवश्यक है।

4. **जागरूकता और समर्थन बढ़ाने की जरूरत :** वन रैंक वन पेंशन योजना की सफलता केवल प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज में इसके प्रति जागरूकता और समर्थन पर भी निर्भर करती है। इस योजना के लाभों को समाज के हर वर्ग में फैलाने के लिए मीडिया और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता बढ़ानी होगी।

5. **निरंतर निगरानी और सुधार की आवश्यकता :** वन रैंक वन पेंशन योजना को समय-समय पर अपडेट और सुधारते रहना होगा, ताकि यह हमेशा प्रासंगिक और न्यायसंगत बनी रहे। इसके अलावा, अगले कुछ वर्षों में लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए, योजना के कार्यान्वयन में भी लचीलापन और सुधार लाना जरूरी होगा।

निष्कर्ष :

वन रैंक वन पेंशन योजना भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवा का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि इस योजना को और बेहतर तरीके से लागू किया जाता है, तो यह सशस्त्र बलों के कर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सुधारने में तथा उनकी सेवा का सम्मान करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।

स्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन "वन रैंक वन पेंशन" योजना से संबंधित है?

1. यह योजना एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त सभी सैनिकों को समान पेंशन प्रदान करती है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कोई भी हो।
2. वन रैंक वन पेंशन योजना की सिफारिश केपी सिंह देव समिति (1984) ने की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन सिद्धांतों पर आधारित थी।
3. यह योजना केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनिवार्य रूप से लागू की गई थी।
4. कैबिनेट सचिव समिति (2009) ने इस योजना को पूरी तरह से स्वीकार किया और इसके तुरंत क्रियान्वयन की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

व्याख्या :

भारत में "वन रैंक वन पेंशन" योजना एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त सभी सैनिकों को समान पेंशन प्रदान करती है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कोई भी हो।
वन रैंक वन पेंशन योजना की सिफारिश केपी सिंह देव समिति (1984) ने की थी, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन सिद्धांतों पर आधारित थी। अतः विकल्प A सही उत्तर है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में ' वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना ' के मुख्य उद्देश्य, इसके कार्यान्वयन/क्रियान्वयन में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर एक समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 : सामाजिक समावेशन और आर्थिक बदलाव

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 14 नवंबर, 2024 को, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के साथ मिलकर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) पर केन्द्रित एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।
- PMAY-U 2.0 का लक्ष्य 1 सितंबर 2024 से अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत समाज के कमजोर वर्गों जैसे विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- भारत के प्रधानमंत्री के इस महत्वकांक्षी योजना के तहत इस कार्यशाला में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और प्राथमिक ऋण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की प्रमुख विशेषताएँ :

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

- यह योजना चार प्रमुख खंडों में विभाजित की गई है, जो लाभार्थियों को उनकी पात्रता के आधार पर चयन करने की सुविधा प्रदान करती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) को आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलती है।
- PMAY-U 2.0 में प्रत्येक आवासीय इकाई पर 2.50 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय संस्थाओं की भूमिका :

- सरकार ने बैंकों और आवास वित्त कंपनियों से आह्वान किया है कि वे 2047 तक "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं, जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री आवास योजना :

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी भारतीय नागरिकों को एक पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, दो मुख्य घटकों को लागू किया गया है:

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) :

- **योजना का शुभारंभ :** इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2016 से हुआ, जब इंदिरा आवास योजना (IAY) को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- **मुख्य लक्ष्य :** प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, खासकर उन परिवारों को जो कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं।
- **लाभार्थी समूह :** इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण के लिए पूर्ण अनुदान मिलता है।
- **लागत साझाकरण :** राज्य और केंद्र सरकार की साझेदारी में, मैदानी क्षेत्रों के लिए लागत 60:40 के अनुपात में बांटी जाती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लिए यह अनुपात 90:10 है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) :

- **योजना का शुभारंभ :** इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 2022 तक सभी नागरिकों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
- **मुख्य लक्ष्य :** इस योजना का प्रमुख लक्ष्य शहरी गरीबों के लिए पक्का आवास प्रदान करना और झुग्गीवासियों के लिए आवास की कमी को दूर करना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ :** इस योजना के तहत, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मकान का स्वामित्व महिला के नाम या संयुक्त नाम पर प्रदान किया जाता है।
- **लाभार्थी समूह :** EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय समूह) और MIG (मध्यम आय समूह) के पात्र परिवारों को योजना के तहत सहायता दी जाती है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना देश के हर नागरिक को एक पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्य कर रही है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

PMAY-U2.0 के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ :

1. **किफायती आवास की उपलब्धता :** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती दर पर आवास की सुविधा मिलती है, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार होगा और उनकी सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

2. **रोजगार के नए अवसरों का सृजन और आर्थिक उन्नति होना :** इस योजना के माध्यम से घरों के स्वामित्व को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। इससे निर्माण परियोजनाओं का विस्तार होगा और आवास क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

3. **समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा मिलना :** यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को आवास समाधान प्रदान करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है, इस प्रकार यह समावेशी शहरी विकास के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है।

4. **शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार होने को सुनिश्चित करना :** बेहतर आवास सुविधाओं से शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का भी सुधार होगा, क्योंकि अधिक परिवारों को शुद्ध जल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिससे समग्र शहरी नियोजन प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

समाधान / आगे की राह :

1. **एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना :** आवास परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना, ताकि समय पर सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

2. **जन जागरूकता अभियान चलाना :** इस योजना से संबंधित लाभों के प्रति और आवेदन प्रक्रिया के बारे में संभावित लाभार्थियों को जानकारी देने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना, ताकि योजना में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो सके।

3. **बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना :** इस योजना से संबंधित सभी पहलूओं के बारे में बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के कर्मचारियों को PMAY-U 2.0 के बारे में प्रशिक्षण देना, जिससे वे आवेदकों को सही दिशा में सहायता प्रदान कर सकें।

4. **एक केंद्रीयकृत वेब पोर्टल का निर्माण सुनिश्चित करना :** एक केंद्रीयकृत वेब पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जो आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाता है, स्थिति अद्यतन की निगरानी करता है, और हितधारकों के बीच संवाद की सुविधा प्रदान करता है।

5. **केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना :** इस योजना के तहत आवास निर्माण के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि प्रयासों को समन्वित किया जा सके।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 के तहत वित्तीय संस्थाओं की भूमिका क्या है?

1. केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. इस योजना के तहत पात्र लाभुकों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करना।
3. वर्ष 2047 तक "सभी के लिए आवास" का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करना।
4. इस योजना के तहत आवास के लिए जमीन मुहैया करवाना।

उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. केवल 2 और 4

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा करें और इस योजना की सफलता में वित्तीय संस्थाओं, सरकारी साझेदारी और अन्य रणनीतियों की भूमिका का विश्लेषण करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंथन : पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59 वां अखिल भारतीय सम्मेलन

खबरों में क्यों ?

- भारत के विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशकों एवं विभिन्न सुरक्षा बलों के महानिरीक्षकों का 59 वां अखिल भारतीय सम्मेलन ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित राज्य सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा।
- तीन दिवसीय इस सम्मेलन में आतंकवाद विरोधी, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून और मादक पदार्थों सहित प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किया जाएगा।
- यह सम्मेलन वरिष्ठ पुलिस पेशेवरों को अपराध नियंत्रण, कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

भारत में राज्य पुलिस सेवा :

1. **संरचना :** प्रत्येक भारतीय राज्य का अपना पुलिस बल होता है, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक (DGP) करता है। राज्य पुलिस अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कानून प्रवर्तन, अपराध रोकथाम और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का काम संभालती है।
2. **कार्मिक :** भारत के राज्य पुलिस बल सामूहिक रूप से 2.5 मिलियन से अधिक कर्मियों को नियुक्त करते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े पुलिस संगठनों में से एक बनाता है।
3. **राज्य बनाम केंद्रीय पुलिस :** राज्य पुलिस अधिकारी कानून और व्यवस्था संबंधित कर्तव्यों को संभालती है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा और विशेष अभियानों में सहायता करते हैं।
4. **अधिकार क्षेत्र :** राज्य पुलिस का अपने राज्य के भीतर अधिकार क्षेत्र होता है, जो हत्या, डकैती और अन्य अपराधों जैसे अपराधों को संभालता है। हालांकि, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) राष्ट्रीय महत्व के मामलों को अपने हाथ में ले सकता है।
5. **अपराध डेटा :** 2023 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने देश भर में 50 लाख से अधिक आपराधिक मामलों की रिपोर्ट की, जिसमें राज्य पुलिस बलों ने अधिकांश जांच और अभियोजन का प्रबंधन किया।
6. **सुधार और आधुनिकीकरण :** कई राज्य पुलिस आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी एकीकरण, जैसे कि अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) पर काम कर रहे हैं, ताकि बेहतर डेटा हैंडलिंग और समन्वय हो सके।
7. **राज्य पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना :** राज्य पुलिस बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों में विशेष भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की महत्वपूर्ण संख्या देखी जा रही है। हालांकि, कुल मिलाकर महिला प्रतिनिधित्व 10% से कम है।
8. **सामुदायिक पुलिसिंग :** कई राज्य सामुदायिक पुलिसिंग पहल को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें जनमैत्री पुलिस (केरल) जैसे कार्यक्रम पुलिस-पब्लिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए हैं।

आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की भूमिका :

1. **कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक :** शांति बनाए रखना, नागरिक अशांति को रोकना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना।
2. **अपराध की रोकथाम, जांच सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना :** अपराधों का पता लगाना और उनकी जांच करना, सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना।
3. **आतंकवाद का मुकाबला करना :** खुफिया जानकारी इकट्ठा करके, आतंकवाद से संबंधित तंत्र को बाधित करके और हमलों को रोककर आतंकवाद का मुकाबला करना।
4. **वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद जैसे विद्रोह का दमन करके जड़ से समाप्त करना :** नक्सलवाद जैसे विद्रोह को आतंकवाद विरोधी अभियानों के माध्यम से संबोधित करना।
5. **भारत की सीमाओं और तटरेखाओं की सुरक्षा करना :** सीमाओं और तटरेखाओं को अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना।
6. **आपातकालीन स्थितियों में सहायता करना :** आपातकालीन स्थितियों में सहायता करना और प्राकृतिक आपदाओं या प्राकृतिक संकटों के दौरान व्यवस्था बनाए रखना।
7. **संगठित आपराधिक नेटवर्क को खत्म करना :** तस्करी, तस्करी और अवैध गतिविधियों में शामिल आपराधिक नेटवर्क को खत्म करना।

PLUTUS IAS
PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

8. **साइबर सुरक्षा और डिजिटल अपराधों का मुकाबला करना :** हैकिंग, धोखाधड़ी और ऑनलाइन खतरों जैसे डिजिटल अपराधों का मुकाबला करना।

भारत में पुलिस बल से जुड़े सेवा को सुरक्षा की सच्ची दीवार बनाने के संदर्भ में दिए गए प्रमुख सुझाव :

1. **सामुदायिक पुलिसिंग और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की सहभागिता :** समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाएं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों को शामिल करें।

2. **उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने को सुनिश्चित करना :** अधिकारियों को तनाव कम करने, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, पूर्वाग्रह और मानसिक स्वास्थ्य संकट हस्तक्षेप में प्रशिक्षित करें।

3. **जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना :** बॉडी कैमरा की आवश्यकता, नागरिक निगरानी स्थापित करना और नियमित रूप से पुलिस डेटा जारी करना।

4. **अधिकारी कल्याण पर ध्यान देने की आवश्यकता :** मानसिक स्वास्थ्य सहायता और तनाव प्रबंधन प्रदान करें, और अधिकारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करें।

5. **कुशल पुलिसिंग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना :** डेटा-संचालित पुलिसिंग को लागू करें और अधिकारियों को गैर-घातक उपकरणों से लैस करें।

6. **पुलिस बल के उपयोग पर स्पष्ट और पारदर्शी नीतियाँ बनाने की आवश्यकता :** पुलिस बल के उपयोग के सख्त दिशा-निर्देश स्थापित करें और बल के उपयोग की तत्काल रिपोर्ट और औचित्य की आवश्यकता होती है।

7. **सार्वजनिक जागरूकता और और पुलिस के साथ सकारात्मक संबंध बनाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना :** जनता को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करें और पुलिस के साथ सकारात्मक संबंध बनाने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करें।

8. **पुलिस से संबंधित विविध कार्य बल में स्थानीय भर्ती को प्रोत्साहित करना :** स्थानीय भर्ती को प्रोत्साहित करें और पुलिस नेतृत्व में विविधता को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष :

पुलिस प्रमुखों का 59 वां अखिल भारतीय सम्मेलन आतंकवाद निरोध और तटीय सुरक्षा जैसी प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य पुलिस सेवा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्हें जनशक्ति की कमी, पुराने बुनियादी ढांचे, राजनीतिक हस्तक्षेप और साइबर अपराध जैसे उभरते खतरों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बल को मजबूत करने के लिए, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ाना, प्रशिक्षण में सुधार करना, जवाबदेही बढ़ाना, अधिकारियों की भलाई को प्राथमिकता देना और आधुनिक तकनीक को एकीकृत करना आवश्यक है। नेतृत्व में लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देने से जनता का बेहतर विश्वास भी बढ़ेगा।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. पुलिस बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिक अशांति को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
2. पुलिस को मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के सहयोग से सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों का काम सौंपा जाता है।
3. भारत में कुल पुलिस बल के 30% से अधिक का प्रतिनिधित्व महिला पुलिस बल करती हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 3

D. केवल 1

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य पुलिस सेवाओं पुलिस बलों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें तथा उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के विभिन्न उपाय सुझाएँ।
(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)